

अपील क्रमांक 191/बो.प्र./नि.स./2023
कार्यालय प्रमुख अभियंता (बोधी प्रकोष्ठ)
जल संसाधन विभाग,
शिवनाथ भवन, सेक्टर-19,
अटल नगर, नवा रायपुर

दिनांक /08/2023

अपील प्रकरण क्रमांक 191/बो.प्र./नि.स./2023

अपीलार्थी
Meena Pandey,
No. 229&230, First Floor,
Chouhan Plaza, Shastri Nagar,
Bhilai (C.G.), Pin-490023,
Cell No. 9770311808

विरुद्ध

उत्तरवादी
श्री ए.के. साय,
जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख
अभियंता, जल संसाधन विभाग,
नवा रायपुर (छ.ग.)

आदेश दिनांक 29.08.2023

- 1 आवेदिका/अपीलार्थी मीना पाण्डेय टेलीफोन में उपस्थित।
2. जनसूचना अधिकारी श्री ए.के. साय उपस्थित।

3. प्रकरण संक्षेप:

- (i) आवेदिका/अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत 10 बिन्दुओं पर जानकारी प्राप्त करने हेतु दिनांक 17.05.2023 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जो इस कार्यालय का आवक क्रमांक 535 दिनांक 26.05.2023 को प्राप्त हुआ।
- (ii) जनसूचना अधिकारी द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत पत्र में उल्लेख किया गया है कि आवेदिका का आवेदन पत्र दिनांक 26.05.2023 को प्राप्त हुआ। वांछित जानकारी हेतु नस्ती बोधी कक्ष को दिनांक 29.05.2023 को प्रस्तुत किया गया। नस्ती कक्ष से दिनांक 06.06.2023 को इस टीप के साथ प्राप्त हुई कि वांछित जानकारी वर्तमान में प्रकरण माननीय महानदी जल विवाद अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन है, जिसके कारण वांछित जानकारी /दस्तावेज आवेदिका/अपीलार्थी को प्रदाय किया जाना संभव नहीं है। तत्पश्चात कार्यालयीन पत्र क्र. 5105, दिनांक 06.06.2023 आवेदिका/अपीलार्थी को पंजीकृत डाक से पत्र द्वारा सूचित किया गया।
- (iii) आवेदिका/अपीलार्थी ने उल्लेख किया गया है कि जनसूचना अधिकारी द्वारा सही जानकारी नहीं दिये जाने के कारण आवेदिका द्वारा असंतुष्ट होकर दिनांक 29.07.2023 द्वारा अवर सचिव/प्रथम अपीलीय अधिकारी, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय नवा रायपुर के नाम से आवेदन प्रस्तुत किया था, जो शासन की ओर से इस कार्यालय में दिनांक 14.08.2023 को प्रथम अपीलीय अधिकारी को प्राप्त हुआ। प्रकरण की सुनवाई दिनांक 24.08.2023 को समय दोपहर 12.30 बजे आवेदिका के अनुरोध पर Telephone meeting के द्वारा निर्धारित किया गया है, किन्तु सुनवाई में अधोहस्ताक्षरकर्ता बैठक में शामिल होने हेतु मुख्यालय से बाहर रहने के कारण सुनवाई स्थगित करते हुए प्रकरण की अगली सुनवाई दिनांक 29.08.2023 को समय दोपहर 12.30 बजे आवेदिका की सहमति से निर्धारित किया गया।

4. सुनवाई दिनांक 29.08.2023 को अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा आवेदिका/अपीलार्थी से दूरभाष पर हुई आवेदिका के असंतुष्टि का निवारण करते हुए अवगत कराया गया कि वांछित जानकारी वर्तमान में प्रकरण माननीय महानदी जल

विवाद अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन है, जिसके कारण वांछित जानकारी /दस्तावेज को प्रदाय किया जाना संभव नहीं है। जिसकी सहमति आवेदिका/अपीलार्थी द्वारा दी गई।

5. जनसूचना अधिकारी द्वारा आज दिनांक 29.08.2023 को सुनवाई में उपस्थित होकर बताया गया कि आवेदिका का आवेदन पत्र आवक क्र. 535, दिनांक 26.05.2023 को प्राप्त हुआ। वांछित जानकारी हेतु नस्ती बोधी कक्ष को दिनांक 29.05.2023 को प्रस्तुत किया गया। नस्ती कक्ष से दिनांक 06.06.2023 को इस टीप के साथ प्राप्त हुई कि वांछित जानकारी वर्तमान में प्रकरण माननीय महानदी जल विवाद अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन है, जिसके कारण वांछित जानकारी /दस्तावेज आवेदिका/अपीलार्थी को प्रदाय किया जाना संभव नहीं है। तत्पश्चात कार्यालयीन पत्र क्र. 5105, दिनांक 06.06.2023 आवेदिका/अपीलार्थी को पंजीकृत डाक से पत्र द्वारा सूचित किया गया।

6. (i) जनसूचना अधिकारी ने नियत अवधि से पूर्व आवेदिका/अपीलार्थी को विस्तृत रूप से सूचित किया था।
- (ii) आवेदक/अपीलार्थी को यह स्पष्ट किया गया था कि संबंधित कक्ष से प्राप्त टीप अनुसार कार्यालयीन पत्र क्र. 5105, दिनांक 6.06.2023 आवेदिका/अपीलार्थी को पंजीकृत डाक से पत्र द्वारा सूचित किया गया।
- (iii) आवेदिका/अपीलार्थी ने जानकारी सही नहीं देने से असंतुष्ट होकर दिनांक 29.07.2023 द्वारा अवर सचिव/प्रथम अपीलीय अधिकारी, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय नवा रायपुर के नाम से आवेदन प्रस्तुत किया था, जो शासन की ओर से इस कार्यालय में दिनांक 14.08.2023 को प्रथम अपीलीय अधिकारी को प्राप्त हुआ। अपील प्रकरण की सुनवाई दिनांक 24.08.2023 को निर्धारित की गई, किन्तु सुनवाई में अधोहस्ताक्षरकर्ता बैठक में शामिल होने हेतु मुख्यालय से बाहर रहने के कारण सुनवाई स्थगित करते हुए प्रकरण की अगली सुनवाई दिनांक 29.08.2023 को समय दोपहर 12.30 बजे निर्धारित किया गया। जिसमें आवेदिका/अपीलार्थी टेलीफोन से चर्चा में उपस्थित हुई।

9. जनसूचना अधिकारी ने नियत समय सूचना, निर्धारित अवधि में दी थी। जनसूचना अधिकारी द्वारा आवेदिका/अपीलार्थी को संबंधित कक्ष से प्राप्त टीप अनुसार कार्यालयीन पत्र क्र. 5105, दिनांक 6.06.2023 आवेदिका/अपीलार्थी को पंजीकृत डाक से पत्र द्वारा सूचित किया गया। प्रकरण की सुनवाई में दोनों पक्षों का तर्क सुना गया। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर निर्णय लिया गया कि जनसूचना अधिकारी ने नियमानुसार निर्धारित अवधि में कार्य किया है। अतः अपील निराकृत।

इस आदेश की प्रति संबंधित पक्षों को निःशुल्क प्रदान की जाती है। इस आदेश से असंतुष्ट पक्ष, इस आदेश के विरुद्ध 90 दिनों के भीतर छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.) पिन 492002 के कार्यालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।



(सी.पी. जैन)

प्रथम अपीलीय अधिकारी,
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

पृ.क्र./ 191 / बो.प्र./ नि.स./ 2023 / 7985

रायपुर, दिनांक 29/08/2023

प्रतिलिपि:-

1. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस., कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया उक्त आदेश को विभाग के बेबसाईट (RTI) में अपलोड कराने का कष्ट करें।
2. श्री ए.के. साय, जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. Meena Pandey, No. 229-230, First Floor, Chouhan Plaza, Shastri Nagar, Bhilai (C.G.), Pin-490023 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।


(सी.पी. जैन)

प्रथम अपीलीय अधिकारी,
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग,

नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)